



कार्यालय कलेक्टर, जिला इन्दौर (म.प्र.)

क्रमांक / 667 / स्थापना / 2026

इन्दौर, दिनांक: 13.07.2026

आदेश

प्रशासनिक कार्य सुविधा की दृष्टि से जिले में पदस्थ राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के मध्य आगामी आदेश तक निम्नानुसार कार्य विभाजन किया जाता है :-

क.	अधिकारी का नाम	प्रभार का विवरण
1	2	3
1	श्री लोकेन्द्र सिंह सरल, संयुक्त कलेक्टर	अनुविभागीय अधिकारी एवं दंडाधिकारी :- राऊ 1- राजस्व प्रकरणों का निराकरण म.प्र.भू-रा.सं.1959 की धारा 22 के अन्तर्गत तहसील राऊ के अनुविभागीय अधिकारी के कर्तव्यों का निर्वहन। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता-1959 की धारा 59 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी की शक्तियों का उपयोग तहसील राऊ विभिन्न विधि-विधान एवं परिपत्रों के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग। म.प्र.सार्वजनिक भवन तथा स्थान विनियम अधिनियम-1984 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकार/शक्तियों का उपयोग। लोक परिसर बेदखली अधिनियम के तहत अपने अधिकार क्षेत्र में उपयोग। वक्फ बोर्ड संबंधी कार्य। नजूल अधिकारी एवं नजूल जांच अधिकारी। क्षेत्रान्तर्गत रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट। क्षेत्रान्तर्गत न्याय शुल्क वापसी क्षेत्रान्तर्गत भाडा नियंत्रण अधिकारी म.प्र. प्रकोष्ठ स्वामित्व अधिनियम 2000 के प्रावधानों के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी माता-पिता भरण-भोषण अधिनियम का क्रियान्वयन 2- दाण्डिक कार्य दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकार क्षेत्र थाना- 1-राऊ, 2-द्वारकापुरी, 3-अन्नपूर्णा, 4-चंदन नगर, 5-राजेन्द्र नगर थाना क्षेत्र के लिए समस्त कार्य संपादित करेंगे तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के प्रावधानों के अंतर्गत निरोधात्मक धाराओं के क्रियान्वयन के प्रभारी अधिकारी होंगे।

		म0प्र0 दुकान स्थापना अधिनियम 1958 की धारा 51 (ख) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग अपने अधिकार क्षेत्र थानो के अंतर्गत। मध्यप्रदेश धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 1968 की धारा 7 के अन्तर्गत धर्म परिवर्तन संबंधी प्रकरणों में अभियोजन की स्वीकृति हेतु। 25 पुलिस/आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत लावारिस एवं लादावा संपत्ति का निराकरण। उपर्युक्त अनुभाग राऊ क्षेत्र अन्तर्गत के बीपीएल कार्ड कार्य। अपने प्रभार के क्षेत्र के जाति प्रमाण पत्र जारी करना। 3- विविध अन्य प्रभार:- पी.सी.एण्ड पी.एन.डी.टी.एक्ट 1984 का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना सार्वजनिक वितरण संबंधी कार्य एवं नियंत्रण। शस्त्र लायसेंस हेतु अनुशंसा पत्र। विशेष विवाह अधिनियम हेतु पत्राचार। जल उपभोक्ता, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य।
2	श्री हरिशंकर विश्वकर्मा, डिप्टी कलेक्टर	अनुविभागीय अधिकारी एवं दंडाधिकारी :- सांवेर 1- राजस्व प्रकरणों का निराकरण म.प्र.भू-रा.सं.1959 की धारा 22 के अन्तर्गत तहसील सांवेर के अनुविभागीय अधिकारी के कर्तव्यों का निर्वहन। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता-1959 की धारा 59 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी की शक्तियों का उपयोग तहसील सांवेर विभिन्न विधि-विधान एवं परिपत्रों के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग। म.प्र.सार्वजनिक भवन तथा स्थान विनियम अधिनियम-1984 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकार/शक्तियों का उपयोग। लोक परिसर बेदखली अधिनियम के तहत अपने अधिकार क्षेत्र में उपयोग। वक्फ बोर्ड संबंधी कार्य। नजूल अधिकारी एवं नजूल जांच अधिकारी। क्षेत्रान्तर्गत रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट। क्षेत्रान्तर्गत न्याय शुल्क वापसी क्षेत्रान्तर्गत भाडा नियंत्रण अधिकारी म.प्र. प्रकोष्ठ स्वामित्व अधिनियम 2000 के प्रावधानों के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी माता-पिता भरण-भोषण अधिनियम का क्रियान्वयन 2- दाण्डिक कार्य दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकार ग्रामीण क्षेत्र थाना- 1-सांवेर, 2-क्षिप्रा, 3-चंद्रावतीगंज

		थाना क्षेत्र के लिए समस्त कार्य संपादित करेंगे तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के प्रावधानों के अंतर्गत निरोधात्मक धाराओं के क्रियान्वयन के प्रभारी अधिकारी होंगे ।
		म0प्र0 दुकान स्थापना अधिनियम 1958 की धारा 51 (ख) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग अपने अधिकार क्षेत्र थानों के अंतर्गत ।
		मध्यप्रदेश धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 1968 की धारा 7 के अन्तर्गत धर्म परिवर्तन संबंधी प्रकरणों में अभियोजन की स्वीकृति हेतु ।
		25 पुलिस/आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत लावारिस एवं लादावा संपत्ति का निराकरण ।
		उपर्युक्त अनुभाग सांवेर क्षेत्र अन्तर्गत के बीपीएल कार्ड कार्य ।
		अपने प्रभार के क्षेत्र के जाति प्रमाण पत्र जारी करना ।
		3— विविध अन्य प्रभार:—
		पी.सी.एण्ड पी.एन.डी.टी.एक्ट 1984 का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना सार्वजनिक वितरण संबंधी कार्य एवं नियंत्रण ।
		शस्त्र लायसेंस हेतु अनुशंसा पत्र ।
		विशेष विवाह अधिनियम हेतु पत्राचार ।
		जल उपभोक्ता, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना ।
		कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य ।
3	श्री चरणजीतसिंह हुडा, डिप्टी कलेक्टर	अनुविभागीय अधिकारी एवं दंडाधिकारी :— देपालपुर
		1— राजस्व प्रकरणों का निराकरण
		म.प्र.भू-रा.सं. 1959 की धारा 22 के अन्तर्गत तहसील देपालपुर के अनुविभागीय अधिकारी के कर्तव्यों का निर्वहन ।
		म0प्र0 भू-राजस्व संहिता-1959 की धारा 59 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी की शक्तियों का उपयोग तहसील देपालपुर
		विभिन्न विधि-विधान एवं परिपत्रों के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग ।
		म.प्र.सार्वजनिक भवन तथा स्थान विनियम अधिनियम-1984 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकार/शक्तियों का उपयोग ।
		लोक परिसर बेदखली अधिनियम के तहत अपने अधिकार क्षेत्र में उपयोग ।
		वक्फ बोर्ड संबंधी कार्य ।
		नजूल अधिकारी एवं नजूल जांच अधिकारी ।
		क्षेत्रान्तर्गत रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट ।
		क्षेत्रान्तर्गत न्याय शुल्क वापसी
		क्षेत्रान्तर्गत भाडा नियंत्रण अधिकारी
		म.प्र. प्रकोष्ठ स्वामित्व अधिनियम 2000 के प्रावधानों के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी
		माता-पिता भरण-भोषण अधिनियम का क्रियान्वयन
		2— दाण्डिक कार्य

		दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकार क्षेत्र थाना— 1—देपालपुर, 2—बेटमा, 3—गौतमपुरा
		थाना क्षेत्र के लिए समस्त कार्य संपादित करेंगे तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के प्रावधानों के अंतर्गत निरोधात्मक धारोओं के क्रियान्वयन के प्रभारी अधिकारी होंगे ।
		म0प्र0 दुकान स्थापना अधिनियम 1958 की धारा 51 (ख) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग अपने अधिकार क्षेत्र थानों के अंतर्गत ।
		मध्यप्रदेश धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 1968 की धारा 7 के अन्तर्गत धर्म परिवर्तन संबंधी प्रकरणों में अभियोजन की स्वीकृति हेतु ।
		25 पुलिस/आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत लावारिस एवं लादावा संपत्ति का निराकरण
		उपर्युक्त अनुभाग देपालपुर क्षेत्र अन्तर्गत के बीपीएल कार्ड कार्य ।
		अपने प्रभार के क्षेत्र के जाति प्रमाण पत्र जारी करना ।
		3— विविध अन्य प्रभार:—
		पी.सी.एण्ड पी.एन.डी.टी.एक्ट 1984 का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना
		सार्वजनिक वितरण संबंधी कार्य एवं नियंत्रण ।
		शस्त्र लायसेंस हेतु अनुशंसा पत्र ।
		विशेष विवाह अधिनियम हेतु पत्राचार ।
		जल उपभोक्ता, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना ।
		कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य ।
4	श्री राहुल गुप्ता, संयुक्त कलेक्टर	अनुविभागीय अधिकारी एवं दंडाधिकारी :- खुडैल 1— राजस्व प्रकरणों का निराकरण म.प्र.भू-रा.सं.1959 की धारा 22 के अन्तर्गत तहसील खुडैल के अनुविभागीय अधिकारी के कर्तव्यों का निर्वहन । म0प्र0 भू-राजस्व संहिता-1959 की धारा 59 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी की शक्तियों का उपयोग तहसील खुडैल विभिन्न विधि-विधान एवं परिपत्रों के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग । म.प्र.सार्वजनिक भवन तथा स्थान विनियम अधिनियम-1984 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकार/शक्तियों का उपयोग । लोक परिसर बेदखली अधिनियम के तहत अपने अधिकार क्षेत्र में उपयोग । वक्फ बोर्ड संबंधी कार्य । नजूल अधिकारी एवं नजूल जांच अधिकारी । क्षेत्रान्तर्गत रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट । क्षेत्रान्तर्गत न्याय शुल्क वापसी क्षेत्रान्तर्गत भाडा नियंत्रण अधिकारी म.प्र. प्रकोष्ठ स्वामित्व अधिनियम 2000 के प्रावधानों के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी माता-पिता भरण-भोषण अधिनियम का क्रियान्वयन

		2- दण्डिक कार्य
		दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकार क्षेत्र थाना- खुडैल
		थाना क्षेत्र के लिए समस्त कार्य संपादित करेंगे तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के प्रावधानों के अंतर्गत निरोधात्मक धाराओं के क्रियान्वयन के प्रभारी अधिकारी होंगे।
		म0प्र0 दुकान स्थापना अधिनियम 1958 की धारा 51 (ख) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग अपने अधिकार क्षेत्र थानों के अंतर्गत।
		मध्यप्रदेश धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 1968 की धारा 7 के अन्तर्गत धर्म परिवर्तन संबंधी प्रकरणों में अभियोजन की स्वीकृति हेतु।
		25 पुलिस/आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत लावारिस एवं लादावा संपत्ति का निराकरण
		उपर्युक्त अनुभाग खुडैल क्षेत्र अन्तर्गत के बीपीएल कार्ड कार्य।
		अपने प्रभार के क्षेत्र के जाति प्रमाण पत्र जारी करना।
		3- विविध अन्य प्रभार:-
		पी.सी.एण्ड पी.एन.डी.टी.एक्ट 1984 का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना
		सार्वजनिक वितरण संबंधी कार्य एवं नियंत्रण।
		शस्त्र लायसेंस हेतु अनुशंसा पत्र।
		विशेष विवाह अधिनियम हेतु पत्राचार।
		जल उपभोक्ता, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना।
		कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य।
5	श्री राजेश कुमार सिंह, डिप्टी कलेक्टर	अनुविभागीय अधिकारी एवं दंडाधिकारी :- हातोद
		1- राजस्व प्रकरणों का निराकरण
		म.प्र.भू-रा.सं.1959 की धारा 22 के अन्तर्गत तहसील हातोद के अनुविभागीय अधिकारी के कर्तव्यों का निर्वहन।
		म0प्र0 भू-राजस्व संहिता-1959 की धारा 59 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी की शक्तियों का उपयोग तहसील हातोद
		विभिन्न विधि-विधान एवं परिपत्रों के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग।
		म.प्र.सार्वजनिक भवन तथा स्थान विनियम अधिनियम-1984 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकार/शक्तियों का उपयोग।
		लोक परिसर बेदखली अधिनियम के तहत अपने अधिकार क्षेत्र में उपयोग।
		वक्फ बोर्ड संबंधी कार्य।
		नजूल अधिकारी एवं नजूल जांच अधिकारी।
		क्षेत्रान्तर्गत रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट।
		क्षेत्रान्तर्गत न्याय शुल्क वापसी
		क्षेत्रान्तर्गत भाडा नियंत्रण अधिकारी
		म.प्र. प्रकोष्ठ स्वामित्व अधिनियम 2000 के प्रावधानों के अंतर्गत संक्षम प्राधिकारी
		माता-पिता भरण-भोषण अधिनियम का क्रियान्वयन

		2- दण्डिक कार्य दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकार क्षेत्र थाना- हातोद थाना क्षेत्र के लिए समस्त कार्य संपादित करेंगे तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के प्रावधानों के अंतर्गत निरोधात्मक धाराओं के क्रियान्वयन के प्रभारी अधिकारी होंगे। म0प्र0 दुकान स्थापना अधिनियम 1958 की धारा 51 (ख) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग अपने अधिकार क्षेत्र थानों के अंतर्गत। मध्यप्रदेश धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 1968 की धारा 7 के अन्तर्गत धर्म परिवर्तन संबंधी प्रकरणों में अभियोजन की स्वीकृति हेतु। 25 पुलिस/आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत लावारिस एवं लादावा संपत्ति का निराकरण। उपर्युक्त अनुभाग हातोद क्षेत्र अन्तर्गत के बीपीएल कार्ड कार्य। अपने प्रभार के क्षेत्र के जाति प्रमाण पत्र जारी करना। 3- विविध अन्य प्रभार:- पी.सी.एण्ड पी.एन.डी.टी.एक्ट 1984 का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना सार्वजनिक वितरण संबंधी कार्य एवं नियंत्रण। शस्त्र लायसेंस हेतु अनुशंसा पत्र। विशेष विवाह अधिनियम हेतु पत्राचार। जल उपभोक्ता, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य।
6	श्रीमती रोशनी पाटीदार, संयुक्त कलेक्टर	प्रभारी अधिकारी - रीडर टू कलेक्टर शाखा - नजूल शाखा - सहकारिता - धर्मस्व शाखा (धार्मिक न्यास एवं देवस्थान वक्फ बोर्ड) - कॉलोनी सेल - सी.एस.आर संबंधी कार्य कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गए अन्य कार्य
7	श्रीमती अलका सिंह वामनकार, डिप्टी कलेक्टर	प्रभारी अधिकारी - स्थापना शाखा - लेखा शाखा - व्यपवर्तन शाखा - शहरी सर्वेक्षण एवं शहरों के मकशो का निर्माण एवं अद्यतीकरण - सदर वसूली बाकी नवीस शाखा - भू-संसाधन प्रबंधन(भू-अभिलेख) शाखा - शहरी सिलिंग शाखा - लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन शाखा - अभिलेखागार (सामान्य/राजस्व)

		10. भू-अर्जन शाखा 11. पुनर्वास एवं दंगाराहत शाखा 12. विधानसभा प्रश्नों के सहायक नोडल अधिकारी कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गए अन्य कार्य
8	श्री विनोद राठौर, डिप्टी कलेक्टर	प्रभारी अधिकारी 1. प्रभारी परियोजना अधिकारी, जिला शहरी विकास अभिकरण 2. सत्कार शाखा 3. एसिड अनुमति 4. प्रेस रजिस्ट्रीकरण 5. आपदा प्रबंधन एवं राहत शाखा 6. अनुज्ञप्ति शाखा 7. पेट्रोलियम एवं एक्सप्लोसिव एक्ट के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण जारी करना 8. नागरिक सुरक्षा सम्बन्धित कार्य कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गए अन्य कार्य
9	श्रीमती श्रुति अग्रवाल, संयुक्त कलेक्टर	प्रभारी अधिकारी 1. नजारत शाखा 2. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के भू-अर्जन के मुआवजा प्रकरणों का भुगतान 3. एस.डब्ल्यू शाखा 4. स्टेशनरी, लायबेरी एवं फार्म्स शाखा 5. लोक सेवा गारन्टी 6. सहायक अधीक्षक सामान्य/राजस्व शाखा 7. नोडल अधिकारी कॉल सेन्टर/कंट्रोल रूम 8. विभागीय जांच शाखा 9. भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी शाखा 10. जे.सी.शाखा 11. म.प्र.राज्य मुकदमा प्रबंधन नीति-2018 का क्रियान्वयन 12. लोकायुक्त/आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा 13. मध्यस्थता सेल 14. शिकायत शाखा – प्रभारी एवं अन्य मंत्री एवं संभाग आयुक्त से प्राप्त शिकायतों का निराकरण। 15. अर्द्धशासकीय पत्रों का समयावधि में जवाब प्रेषित करने संबंधी कार्यवाही। कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गए अन्य कार्य

10	श्री धर्मेन्द्र चौकसे, डिप्टी कलेक्टर	प्रभारी अधिकारी 1. मानवाधिकार आयोग एवं समस्त आयोग के पत्रों का समयावधि में जबाव भेजना 2. हिन्दु मेरिज एक्ट विशेष विवाह अधिनियम के प्रकरणों में कार्यवाही 3. भारतीय नागरिकता एवं पासपोर्ट संबंधी कार्य एवं जांच 4. सालवेन्सी एवं नादारी 5. महाराष्ट्र साहित्य सभा (पर्यवेक्षण अधिकारी) कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गए अन्य कार्य
11	श्री दिलीप वर्मा, डिप्टी कलेक्टर	प्रभारी अधिकारी 1. समाधान ऑनलाईन 2. ई. ऑफिस कार्य प्रणाली का क्रियान्वयन 3. पी.जी.आर.शाखा 4. एन.जी.टी.शाखा (राष्ट्रीय हरित अभिकरण) 5. जी.एम.एफ.सी. शाखा 6. लोकलबॉडी शाखा कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गए अन्य कार्य

उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

(शिवम वर्मा)
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी
जिला इन्दौर

पृष्ठांकन क्रमांक / 668 / स्थापना / 2026
प्रतिलिपि:-

इन्दौर, दिनांक: 13.07.2026

- 1/ सचिव, मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
- 2/ आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर।
- 3/ जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इन्दौर।
- 4/ आयुक्त पुलिस, जिला इन्दौर।
- 5/ आयुक्त, नगर पालिक निगम, इन्दौर।
- 6/ मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इन्दौर विकास प्राधिकरण, इन्दौर।
- 7/ मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, इन्दौर।
- 8/ अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी 1, 2, 3, 4, 5, इन्दौर की और सूचनार्थ।
- 9/ अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) -----
- 10/ शासकीय अधिवक्ता, म.प्र. उच्च न्यायालय खण्डपीठ, इन्दौर।
- 11/ सचिव, बार एसोसियेशन कलेक्टोरेट / जिला न्यायालय इन्दौर।
- 12/ संयुक्त संचालक, जनसंपर्क विभाग इन्दौर।
- 13/ नियंत्रक, जिला नागरिक आपूर्ति (खाद्य शाखा) इन्दौर।
- 14/ उप जिला निर्वाचन अधिकारी, इन्दौर।
- 15/ जिला राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान केन्द्र कलेक्टोरेट इन्दौर।
- 16/ मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ई-गवर्नेंस कलेक्टोरेट इन्दौर।

- 17/ जिला प्रबंधक, लोक सेवा गारंटी, कलेक्टोरेट इन्दौर।
18/ जिला कोषालय अधिकारी/नगर कोषालय अधिकारी इन्दौर।
19/ प्रभारी अधिकारी -----
20/ निज सहायक, कलेक्टर जिला इन्दौर।
21/ प्रस्तुतकार कलेक्टर /अपर कलेक्टर 1, 2, 3,4,5, जिला इन्दौर।
22/ तहसीलदार तहसील -----की ओर सूचनार्थ।
23/ कार्यालय अधीक्षक, कलेक्टोरेट जिला इन्दौर।
24/ सहायक अधीक्षक (राजस्व/सामान्य) कलेक्टोरेट जिला इन्दौर।
25/ समस्त संबंधित शाखा-----की ओर सूचनार्थ।



कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी
जिला इन्दौर